भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 584**
(06 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

**प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का रखरखाव**

**584. श्री देवजी एम. पटेल:**

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें प्रतिवर्ष खराब रख-रखाव के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पीएमजीएसवाई सड़कों के रख-रखाव के लिए प्रावधानों की कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त सड़कों के नियमित रख-रखाव के लिए क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये सड़कें अपने निर्धारित जीवन काल तक उपयोग लायक बनी रहें?

**उत्तर**
**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(साध्वी निरंजन ज्योति)**

**(क) से (ग):** ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, मंत्रालय ने निर्मित सड़कों का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए पीएमजीएसवाई के तहत निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) योजना के तहत सभी स्वीकृत सड़क कार्यों को मानक बोली दस्तावेज के अनुसार , उसी ठेकेदार के साथ निर्माण अनुबंध सहित पांच वर्ष के रखरखाव अनुबंधों के तहत कवर किया जाता है।

(ii) अनुबंध के लिए रखरखाव निधियों का बजट राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है और इन्हें राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास एक अलग खाते में रखा जाता है। निर्माण पश्चात 5 वर्ष के रखरखाव की समाप्ति पर , पीएमजीएसवाई सड़कों को जोनल रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाना आवश्यक है , जिसमें समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित किए जाने वाले रखरखाव चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 वर्ष का रखरखाव शामिल है।

(iii) इसके अतिरिक्त पीएमजीएसवाई-।।। के तहत बनाई जा रही सड़क की डिजाइन लाईफ के दौरान राज्य आवश्यक रखरखाव निधि प्रदान करे , यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम दिशानिर्देशों में एक प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत राज्यों को संबंधित राज्य में योजना शुरू करने से पहले पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित/बेहतर बनाई गई सड़कों के रखरखाव के लिए प्रारंभिक पांच वर्षों के नियमित रखरखाव हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान करने और साथ ही आवश्यकता के अनुसार आवधिक नवीनीकरण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होता है।

(iv) केन्द्र सरकार को निधि जारी करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुरक्षण निधियों की निर्मुक्ति को राज्य द्वारा प्रमाणित किया जाना अपेक्षित होता है।

(v) पीएमजीएसवाई सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ई-मार्ग) एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है , जिसे सभी राज्यों में पीएमजीएसवाई कार्यों के पूरा होने की तारीख से पांच साल तक (यानी दोष दायित्व अवधि-डीएलपी के तहत) रखरखाव की निगरानी के लिए लागू किया गया है ।

*****